11/15/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363(I)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक : 24-10-2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : पति/पत्नी के नाम में परिवर्तन – पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सलाह।

अधोहस्ताक्षरी को पति/पत्नी के नाम में परिवर्तन के संबंध में इस विभाग के दिनांक 6-10-2022 के का.ज्ञा.सं. 3(2)/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-7942(प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। दिनांक 6-10-2022 के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन में निहित सलाह निम्नानुसार है :

(i) केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 में सेवानिवृत्त होने के पश्चात सरकारी कर्मचारी या पति/पत्नी के पेंशन संदाय आदेश(पीपीओ) में नाम/उपनाम के परिवर्तन के लिए पृथक रूप से कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। पेंशन संदाय आदेश(पीपीओ) कर्मचारी की सेवा रिकॉर्ड/सेवा-पुस्तिका के आधार पर जारी किया जाता है और सेवा पुस्तिका के रखरखाव का कार्य कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित है।

(ii) इसके अतिरिक्त, निदेशक(पीडब्लू), पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की अध्यक्षता में आयोजित सीपेनग्राम्स में लंबित शिकायतों की अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सूचित किया गया कि वे कुटुंब पेंशनभोगी के नाम में परिवर्तन के लिए भी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 मार्च, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 190016/187-स्था. का अनुसरण कर सकते हैं। यदि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को ऐसा प्रतीत होता है कि पीपीओ में नाम में परिवर्तन करने के लिए दिए गए आवेदन के समर्थन में शिकायतकर्ता कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कुछ विसंगति है, तो वे उनके साथ संपर्क करके इसका समाधान कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करें कि नाम में परिवर्तन करने के लिए किया गया अनुरोध कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 मार्च, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 190016/187-स्था. की शर्तों को पूरा करता है।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त उपबंधों का अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(सुभाष चंदर)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 24644631

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

सं.3(2)/2022-पी&पीडब्ल्यू(एच)-7942
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

8वीं मंजिल 'बी' विंग, जनपथ भवन
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 6 अक्टूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: स्वर्गीय श्री मन मोहन चंदर, पूर्व सहायक के पेंशन संदाय आदेश(पीपीओ) में पत्नी श्रीमती सिमरो देवी के नाम में परिवर्तन- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सलाह लेने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 8/7/2022 के यूओ सं. ए-38012/1/2021-प्रशा-II और इस विभाग के दिनांक 17/5/2022 के आईडी नोट सं. 3(2)/2022-पी&पीडब्ल्यू-7942 का संदर्भ देने का और यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस विभाग की सलाह पहले ही उपरोक्त संदर्भित दिनांक 17/5/2022 के आईडी नोट द्वारा जारी की जा चुकी है।

2. इस विभाग में मामले की पुनः जांच की गई है। यह सूचित किया जाता है कि: -

(i) केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 में सेवानिवृत्ति के पश्चात सरकारी कर्मचारी या पति/पत्नी के पीपीओ में नाम/कुलनाम का परिवर्तन करने के लिए कोई पृथक प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। पीपीओ कर्मचारी के सेवा अभिलेख/सेवा पुस्तिका के आधार पर जारी किया जाता है और सेवा पुस्तिका के रखरखाव का संबंध डीओपीटी से है।

(ii) इसके अलावा, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के निदेशक(पीडब्ल्यू) की अध्यक्षता में आयोजित सीपेनग्राम्स में लंबित शिकायतों की अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सूचित किया गया कि वे कुटुंब पेंशनभोगी के नाम में परिवर्तन के लिए भी डीओपीटी के दिनांक 12 मार्च, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 190016/187-स्था. का अनुसरण करेI यदि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा पीपीओ में नाम परिवर्तन करने के लिए दिए गए आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों में कुछ विसंगति है, तो वे उनके साथ संपर्क करके इसका समाधान कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करें कि नाम परिवर्तन करने के लिए किया गया अनुरोध डीओपीटी के दिनांक 12 मार्च, 1987 के का.ज्ञा. सं. 190016/187-स्था. की शर्तों को पूरा करता है।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता हैI

(अशोक कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन: 23310108

सेवा में,
अवर सचिव(प्रशा. .II)
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
खुर्शीद लाल भवन, जनपथ
नई दिल्ली